न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 – 57/2018

पेमाराम पुत्र रेखाराम 2. अमराराम पुत्र मघाराम जाट निवासीगण पेमासर हाल आबाद गांव कानासर तहसील व जिला बीकानेर

.....प्रार्थीगण.....

–:बनाम:–

1 नत्थुराम पुत्र धुडाराम नायक निवासी गांव कानासर तहसील व जिला बीकानेर

2 राजुराम पुत्र रतनसिंह राजपुरोहित निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर

.....अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री प्रभुसिह भाटी, प्रार्थीगण।
2. श्री मुमताज अली भाटी अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

दिनांक–23/01/2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.12.18 को मूल वाद के साथ 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानासर के खेत खसरा न. 836/317 में तादादी 30 बीघा भूमि चली आ रही है। प्रार्थीगण गरीब किस्म के खेती पेशा व्यक्ति है। जो शांतिपूर्वक तरीके से कार्य करके अपना जीवन यापन करते है। अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की गर्ज में अक्सर सीमाज्ञान को लेकर प्रार्थीगण के साथ झगडा फसाद करते है। आराजी मुतनाजा का प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा आपसी मुनाजा पर ढाणी व कुण्ड बनाकर अपने परिवा सहित आबाद है। जिसमें कभी भी किसी व्यक्ति की कोई दखलअंदाजी नही रही है। अप्रार्थी संख्या 2 भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉट काटना चाहता है। अप्रार्थीगण बिना किसी युक्ति युक्त संगत कारण के प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि के उपयोग व उपभोग करने के अधिकारों पर ठेस पहुचा रहे है तथा ऐलानियॉ धमकी दे रहे है कि मौका मिलते ही तुम्हे बेदखल करके हम वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो जायेगे। दिनांक 26.11.18 को अप्रार्थीगण अपने साथ कुछ गुप्त तत्वों को साथ लेकर आया और खेत में नाजायज प्रवेश करने लगा तो अप्रार्थीगण ने मना किया इस पर अप्रार्थीगण ने मना किया इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और अपने साथियों के साथ जबरदस्ती खेत मे घुसने लगा तो शोर शराबा सुनकर खेत पड़ौसी भी मौके पर आ गये जिनको देखकर अप्रार्थीगण वापिस चले गये और जाते समय धमकी देकर गया कि मौका

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

मिलते ही तुम्हे बेदखल कर देगे। इसी में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन हासिल हुआ है तथा यही तारीख बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत है। प्राईमा फैसाई केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्तत भूमि वाके ग्राम कानासर में खसरा नम्बर 836/317 में 30 बीघा पर प्रार्थीगण में शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जा काश्त के दखल अंदाजी नही करे, ना ही प्रार्थीगण को बेदखल करे, ना ही नाजायज प्रवेश करे तथा ना ही ऐस कोई तर्क या फैल करे जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होता हो। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से श्री मुमताज अली भाटी वकील उपस्थित आये और जवाब काउण्टर टी.आई पेश किया जिसमें पैरा संख्या 1 ता 6 अस्वीकार करते हुए विशेषकथन मे जाहिर किया की अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त व मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि खेत खसरा सं.317 वाके कानासर पर स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा या प्रार्थीगण का बेदखल करने का प्रयास नही किया गया है। खेत खसरा सं.317 में राजस्व नक्शा मे बरंग लाल से रास्ता दिखाया गया है। जिसके दोनो तरफ खसरा स.317 की भूमि है जो भूमि प्रार्थीगण की तरफ खेत खसरा स. 836/317 की तरफ है उस पर स्वयं प्रार्थीगण द्वारा दावा पेश करने के बाद दिनांक 28.07.2019 को अप्रार्थीगण की सींव को तोड़कर कब्जे करने का प्रयास किया गया है। जिससे अप्रार्थी सं.1 काउन्टर क्लेम के जरिये प्रार्थीगण के विरूद्व चिरनिषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि प्रार्थीगण की खेत खसरा स.317 की भूमि पर सींव तोडकर नाजायज कब्जा न करे ना ही अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करें, ना ही ही उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करें, ना ही अप्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि से बेदखल करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य–अकृत्य करें जिससें अप्रार्थीगण के सिविल अधिकारों पर कुठाराघात होता हो या होने का अन्देशा हो। अप्रार्थीगण स.1 अनुसूचित जाति का गरीब व उपेक्षित अनपढ़ व्यक्ति है। जिस पर दवाब बनाये रखन के लिये उक्त दावा पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 2.11.2018 को माके पर अप्रार्थीगण द्वारा आकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना व विवाद होना बताया गया है जिसकी प्रार्थीगण द्वारा कोई शिकायत या फौजदारी प्रकरण इस संबध में संबधित थाना या सक्षम अधिकारी के यहां दर्ज नही करवाया गया है। खेत खसरा न.836/317,317 मीन से बना हुआ है खसरा संख्या 836/317 मौके पर दूसरे स्थान पर होने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र के जरिये से यहां फिट किये जाने का प्रार्थीगण द्वारा प्रयास किया जा रहा है। खेत खसरा स.836/317 में प्रार्थीगण ने कभी भी कोई काश्त ही की है ना ही वर्तमान मे प्रार्थीगण का एक्सक्लूजीव पजेशन है ना ही रहा है। इसलिये कब्जे के अभाव में उक्त दावा खारिज होने योग्य है खारिज फरमावे। अतः जवाब काउन्टर टी.आई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

पत्र मय खर्चा खारिज कर अप्रार्थीगण स.1 (काउण्टर टी.आई. में प्रार्थी) का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अप्रार्थीगण खिलाफ प्रार्थीगण इस आश्य की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थी स.1 के खेत खसरा स.317 वाके कानासर तहसील व जिला बीकानेर में प्रार्थीगण अपना कब्जा कायम न करे ना ही सींव तोड़े, ना ही अप्रार्थी स. 1 की कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करे ना ही उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य अकृत्य करें जिससे अप्रार्थी सं.1 के सिविल अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो या पड़ने का अंदेशा हो। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 26.8.19 को एक प्रार्थना पत्र 26 रूल 9 प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण दिनांक 9.9.19 को कर दिया गया है तथा पत्रावली पुनः बहस हेतु नियत की गयी।

दिनांक 16.1.20 को प्रार्थना पत्र में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील श्री प्रभुसिंह भाटी द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वंय की खरीदशुदा खातेदारी भूमि जो कि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 836/317 में तादादी 30 बीघा है। अप्रार्थीगण का इस जमीन से कोई सरोकार नही है। उक्त भूमि पर मेरा विधिक अधिकार है और मेरे कब्जे काशत में है। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब काउण्टर टी.आई के कथनो को दोहराते हुए अवगत कराया की कानासर के ख.न. 317 पर कब्जा काश्त है। खेत खसरा स.836/317,317 मीन से बना हुआ है खसरा संख्या 836/317 मौके पर दूसरे स्थान पर होने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र के जरिये यहां फिट किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। खेत खसरा स.836/317 में प्रार्थीगण ने कभी भी कोई काश्त नही की है ,ना ही वर्तमान में प्रार्थीगण का एक्सक्लूजीव पजेशन है , ना ही रहा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। यह तथ्य स्पष्ट है कि जिस भूमि पर प्रार्थी स्थगन की मांग कर रहे है। उस भूमि के रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण है। प्रार्थी ने जो भी साक्ष्य या तथ्य बताये है। वे दौराने साक्ष्य में सिद्व होगे। इस पत्रावली में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति सिद्व नही कर पाये। उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में ऐसे सिद्वान्त प्रतिपादित किए है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देने के लिए तीनो शर्तो को सिद्व करना आवश्यक होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.02.20 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: